न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 197/2017/225 आर टी ए

प्रदीपकौर पत्नि प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 6 बीजीपी ए ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मीरादेवी पत्नि रायसिंह जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 143/2016 बअनवानी मीरादेवी बनाम प्रदीप कौर आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 2

निर्णय दिनांकः–02.02.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि के लिए रास्ता का अन्य कोई विकल्प न होना प्रकट कर चक 6 बीजीपी ए के संयुक्त खाता सं. 66/72 के प.न. 208/139 मु.न. 45 के कि.न. 23 के कि.न. 22 से चिपती 8¼ फुट यानि 1 बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति मे एवं उसे जवाबदेही का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे अपीलांट को जवाबदेही का कोई अवसर प्रदान नही किया तथा पत्रावली अपीलांट के जवाब हेतु नियत थी। दिनांक 07.06.17 को ढाबा कैम्प मे सुनवाई हेतु रखी जाने के लिए कोई नोटिस अपीलांट

अथवा उसके अधिवक्ता को नही दिया गया। रेस्पो0 सं. 1 ने प.न. 208/139 मु.न. 45 के कि.न. 23 मे से रास्ता की मांग की है, वह किला अपीलांट का एकल खातेदारी न होकर संयुक्त खाता का था। रेस्पो0 सं. 1 ने इस संयुक्त खाता के सभी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। कानूनन एक संयुक्त खाता की भूमि मे से रास्ता की मांग करने पर उस खाता के समस्त खातेदार आवश्यक पक्षकार थे। संयुक्त खाता मे से गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत होने पर यह गैरमुमकिन रास्ता की भूमि सभी सहखातेदारो के हिस्सा मे से कम होनी चाहिए थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अपीलांट के हिस्सा मे से यह भूमि कम कर अनुचित आदेश पारित किया है। अपीलांट एक लघु कृषक है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 की भूमि के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग होने के संबंध मे भी कोई जांच नही की। अधीनस्थ न्यायालय ने मुआवजा स्वरूप जमीन के बदले जमीन न देकर डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा तय कर भी अनुचित आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलांट की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई रेस्पो0 सं. 1 की कृषि भूमि मे से 1 बिस्वा अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करते हुए चक 6 बीजीपी ए के संयुक्त खाता सं. 66/72 के प.न. 208/139 मु.न. 45 के कि.न. 23 के कि.न. 22 से चिपती 8¼ फुट यानि 1 बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत करते हुए रास्ते के ऐवज मे डीएलसी दर से दुगुनी राशि अपीलांट को अदा करने के आदेश दिये गये थे। जिसमे रेस्पो0 द्वारा डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा करवाई जाकर रास्ता का राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मे किये गये कथन के अनुसार अपीलांट की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई रेस्पो0 सं. 1 की कृषि भूमि मे से 1 बिस्वा अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर चक 6 बीजीपी ए के संयुक्त खाता सं. 66/72 के प.न. 208/139 मु.न. 45 के कि.न. 23 के कि.न. 22 से चिपती 8¼ फुट यानि 1 बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जावे। रेस्पो0 रास्ता भूमि की ऐवज मे अपीलांट के साथ चिपती हुई भूमि दिये जाने मे सहमत है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा रास्ता भूमि के ऐवज मे जमा करवाई गई डीएलसी दर की दुगुनी राशि वापिस दिये जाने के आदेश पारित किये जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलांट ने रेस्पोडेंट को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने के लिए चक 6 बीजीपी ए के संयुक्त खाता सं. 66/72 के प.न. 208/139 मु.न. 45 के कि.न. 23 के कि.न. 22 से चिपती 8¼ फुट यानि 1 बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत करने मे सहमति दी है परन्तु उक्त रास्ता भूमि के ऐवज मे डीएलसी से दो गुणा राशि के स्थान पर अपीलांट के साथ चिपती हुई भूमि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा दिये जाने का कथन भी गया है। जिस पर रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि जो अपीलांट के चिपती हुई है, के कि.न. 18 मे 1 बिस्वा मे से 8¼ फुट फुट रास्ता जो किला नं. 23 के स्वीकृत रास्ता के सामने दिये जाने मे सहमति दी गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तो सही है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश मे रास्ता भूमि के ऐवज मे भूमि दिये जाने या डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा करने का अंकन है परन्तु रेस्पो0 द्वारा स्वीकृत रास्ते मे प्रयुक्त भूमि की ऐवज मे डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवा कर रास्ता का अंकन अपीलांट को बिने सुने करवाया गया है।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार काश्तकारो के मध्य आपसी सहमति नही होने की स्थिति मे रास्ते मे प्रयुक्त भूमि की ऐवज मे मुआवजे के रूप राशि अथवा भूमि दिया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट रास्ता दिये जाने मे सहमत है परन्तु अपीलांट द्वारा रास्ते भूमि की ऐवज मे अपीलांट चिपती हुई भूमि दिये जाने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 मे वर्णित रास्ता यथावत रहेगा, परन्तु अपीलाधीन दिनांक 07.06.2017 आदेश को संशोधित करते हुए रास्ता के रूप मे प्रयुक्त अपीलांट की भूमि की ऐवज मे रेस्पोडेंट अपनी भूमि मे से अपीलांट की भूमि से चिपती हुई भूमि दिये जाने के आदेश किये जाने न्यायसंगत है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 मे वर्णित रास्ता यथावत रहेगा, परन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 के अनुसार रास्ते मे प्रयुक्त भूमि के मुआवजे के रूप मे डीएलसी दर से दो गुणा राशि जमा कराने के आदेश दिये गये थे। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश को संशोधित करते

हुए रास्ते मे प्रयुक्त भूमि की क्षतिपूर्ति/मुआवजे के रूप मे डीएलसी की दो गुणा राशि के स्थान पर रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कि.न. 23 के चिपती हुई चक 6 बीजीपी ए के खाता सं. 73/73 मे प.न. 208/139 मु.न. 45 के कि.न. 18 मे 1 बिस्वा मे से कि.न. 23 स्वीकृत रास्ते को आगे बढाने हेतु 8¼ फुट भूमि कि.न. 23 मे स्वीकृत रास्ते के सामने छोड़कर शेष भूमि दी जावेगी। पूर्व मे स्वीकृत रास्ते के सामने कि.न. 23 मे छोड़ी गई 8¼ फुट भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज की जावेगी जिसका उपयोग अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनो पक्षकार कर सकेगें। अगर रेस्पो0 द्वारा मुआवजे के रूप मे राशि जमा करवाई गई है, तो जमा करवाई गई राशि रेस्पो0 सं. 1 को वापिस लौटाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु प्रति तहसीलदार राजस्व संगरिया को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ